राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
नासिन कॉम्पलैक्स, सैक्टर–29, फरीदाबाद–121008

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
NACIN Complex, Sector-29, Faridabad-121008
ई–मेल / E-mail : dg.nacen-cbec@nic.in
फोन / Telephone : 0129-2504652-54
फैक्स / Fax : 0129-2504632

एक कदम स्वच्छता की ओर

(ई-मेल के माध्यम से)

फा.सं.II(11)06/2020/नासिन |778से 1007

दिनांक: 22 .01.2020

विषय:- नासिन, फरीदाबाद में समूह 'क' एवं 'ख' अधिकारियों के लिए "मानव तस्करी: सीमा-शुल्क अधिकारियों का संवेदीकरण" (Human Trafficking: Sensitization of Customs officers) विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 17 फ़रवरी, 2020 के संबंध में।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 17 फ़रवरी, 2020 को सीबीआईसी के समूह 'क' एवं 'ख' अधिकारियों के लिए "मानव तस्करी: सीमा शुल्क अधिकरियों का संवेदीकरण" (Human Trafficking: Sensitization of Customs officers) विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण नासिन, फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है।

2. अत: यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सीबीआईसी के उपयुक्त समूह 'क' एवं 'ख' अधिकारियों को नामित किया जाये।

3. नामांकन सकारात्मक रूप से दिनांक 13 फ़रवरी, 2020 तक केवल ई-मेल के माध्यम से ई-मेल **आईडी- nomination.istnacin@gmail.com** पर सुश्री मोनिका यादव, उप-निदेशक, नासिन, फरीदाबाद को भेजी जाये। नामित अधिकारियों के दूरभाष/मोबाईल संख्या, ई-मेल का पता (बड़े अक्षरों में) के साथ-साथ नामित अधिकारी के कर्मचारी आईडी (Employee ID) भी नामांकन पत्र में इंगित करें जिससे कि पत्राचार में आसानी हो एवं सीबीआईसी अधिकारियों के प्रशिक्षण डेटा बेस का सृजन किया जा सके।

4. **यह भी अनुरोध किया जाता है कि कागज की बर्बादी से बचने के लिए नामांकन की हॉर्ड-कॉपी कूरियर या डाक के माध्यम से अलग से न भेजी जाये।**

5. कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि एक बार जिस अधिकारी को नामांकित किया जाता है वो प्रशिक्षण में अवश्य भाग ले क्योंकि अंतिम समय में नामांकन रद्द/वापस किये जाने से नासिन को प्रशासनिक असुविधा एंव वित्तीय क्षति होती है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश पूर्वानुमति एवं पूर्वसूचना से नाम वापस लिया जाता है तो कृपया उनके जगह किसी अन्य अधिकारी को नामांकित किया जाय।

6. पंजीकरण के समय प्रतिभागियों को दोपहर के भोजन और चाय/नाश्ते के लिए 250/- प्रति दिन के हिसाब से भुगतान करना होगा।

7. प्रतिभागियों को यह सुझाव दी जाती है कि वे फरीदाबाद के किसी नजदीकी होटल में ठहरे ताकि प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए समय पर नासिन पहुँच सकें। प्रतिभागियों के सुविधा के लिए फ़रीदाबाद के होटलों का विवरण संलग्न है।

8. प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी अधिकारियों से उत्तम व्यवहार की अपेक्षा की जाती हैं। अनुशासनहीनता का कोई भी व्यवहार, जैसे कक्षा में देर से उपस्थित होना, सत्र के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करना, प्रशिक्षण- सत्र में अनुपस्थिति रहना आदि को गंभीरता से लिया जाएगा और इसकी सूचना आंचलिक मुख्य आयुक्त को भेजी जा सकती हैं या प्रशिक्षण लागत की वसूली की कार्यवाही भी की जा सकती हैं।

9. प्रथम सत्र के शुभारम्भ के बाद विलंब से उपस्थित होने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र (certificate of completion) प्रदान नहीं किया जाएगा।

8. नामांकित अधिकारियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए सकारात्मक रूप से दिनांक 17.02.2020 को प्रात: 09.30 बजे नासिन, सेक्टर 29, फरीदाबाद, पुलिस लाईन के करीब, फरीदाबाद में रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया जाए। यहाँ से नजदीकी मैट्रो स्टेशन, वॉयलेट लाईन पर फरीदाबाद सैक्टर-28 है। दिनांक 17.02.2020 के सत्र का समापन सांय 06.00 बजे तक होगा, अत: अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वह अपनी वापसी की यात्रा तदनुसार बनाए।

भवदीय,

22/01/2020

(राजेश कुमार)
संयुक्त निदेशक

राजेश कुमार
RAJESH KUMAR
संयुक्त निदेशक
JOINT DIRECTOR

संलग्नक : यथोपरि

सेवा में,

1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
3. प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सीबीआई के तहत सभी निदेशालय)
4. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
5. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क
6. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
7. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, लेखापरीक्षा आयुक्तालय
8. सीबीआईसी एवं नासिन वैबसाईट